



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1012]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 11, 2003/कार्तिक 20, 1925

No. 1012]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 11, 2003/KARTIKA 20, 1925

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2003

का.आ. 1290(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का. नि. आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

(क) क्रम सं० 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :-

सारणी

1

2

3

“6 राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17, सं. 47 [182.040 किमी. से 358.750 कि.मी. (तमिलनाडु/केरल सीमा से कोचीन तक) को छोड़कर] सं. 49, सं. 208, सं. 212, सं. 220 का उतना भाग जो केरल राज्य के भीतर स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47क, और सं. 213 केरल राज्य सरकार ।” ;

(ख) क्रम सं० 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :-

1	2	3
"9	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 4 [0.0 किमी. से 592.0 कि.मी. बंगलौर कर्नाटक तक/कर्नाटक से महाराष्ट्र सीमा तक, को को छोड़कर] सं. 4क, सं. 9, सं. 13 [743.900 किमी. से 745.000 कि.मी. तक (मारोली जंक्शन से ननतूर जंक्शन तक) को छोड़कर] सं.17 (358.000 किमी. से 375.300 किमी. तक) (सूरतकल से ननतूर तक)] सं. 63, सं. 207, सं. 209 और सं. 212 का उतना भाग जो कर्नाटक राज्य के भीतर स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48, [328.000किमी. से 345.000 किमी.(बी.सी. रोड से पाडिल जंक्शन तक) को छोड़कर] सं. 206 और सं. 218	कर्नाटक राज्य सरकार ।" ;

(ग) क्रम सं० 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :-

1	2	3
"10	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 [(233 किमी. से 418 कि.मी. आंध्रप्रदेश/उड़ीसा सीमा से भुवनेश्वर तक) को छोड़कर] [0.0किमी. से 200.0 किमी. तक भुवनेश्वर से बालासोर तक] सं.6, सं. 23, सं. 43, सं. 60 और सं. 200 का उतना भाग जो उड़ीसा राज्य में स्थित है) और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 42, सं. 201, सं.203 और सं. 215	उड़ीसा राज्य सरकार ।" ;

[फा. सं. एन एच-14012/8/2003-पी एंड एम]

उमा शंकर तिवारी, उप सचिव

टिप्पण :— मूल अधिसूचना का.नि.आ. 1181, दिनांक 4 अप्रैल, 1957 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ व अंतिम संशोधन सं. का.आ. 195(अ), दिनांक 6 मार्च, 2000 और सं. का.आ. 464(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2002 द्वारा किये गए हैं।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2003

S.O. 1290(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport number S.R.O. 1181, dated 4th April, 1957, namely :-

In the said notification, in the Schedule:-

- (a) for serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-

TABLE

1	2	3
"6.	So much of National Highways No.17, No.47 [excluding from Km. 182.040 to Km. 358.750 (from Tamil Nadu / Kerala Border to Kochi)] No. 49, No. 208, No.212, No. 220 as are situated within the State of Kerala and National Highways No. 47A and No.213	State Government of Kerala." ;

- (b) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely:-

1	2	3
"9.	So much of National Highways No.4 [excluding (from Km.0.0 to Km. 592.0 from Bangalore to Karnataka to/ Maharashtra Border)], No.4A, No.9, No.13 [excluding from Km. 743.900 to Km. 745.000 (Maroli Junction to Nantoor Junction)] No. 17 [excluding from Km. 358.000 to Km. 375.300(Suratkal to Nantoor)], No.63, No. 207, No. 209 and No. 212 as are situated within the State of Karnataka and National Highways No. 48 [excluding from 328.000 to Km. 345.000 (B.C.Road to Podil Junction)], No. 206 and No. 218.	State Governemnt of Karnataka".;

- (c) for serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"10.	So much of National Highways No.5 [(excluding from Km. 233 to Km. 418 from Andhra Pradesh/Orissa Border to Bhubneshwar)], [(from Km. 0.0 to Km. to 200.0 from Bhubneshwar to Balasore)], No.6, No.23, No.43, No.60 and No.200 as are situated within the State of Orissa) and National Highways No. 42, No.201, No.203 and No.215.	State Government of Orissa."

[F. No. NH-14012/8/2003-P&M]

U. S. TIWARI, Dy. Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India vide S.R.O. 1181, dated 4th April, 1957 and last amended vide No. S.O. 195(E) dated 6th March, 2000 and No. S.O. 464(E) dated 26th April, 2002.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2003

का.आ. 1291(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (1) में यथावर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उनके सामने यथाउल्लिखित तत्स्थानी खंड की सारणी के खंड (3) में यथाविनिर्दिष्ट भूखंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	भूखंड कि.मी. में
(1)	(2)	(3)
5क	चांदीकोले से पारादीप	0.000 कि.मी. से 77.000 कि.मी.
47	वियतिला से अरूर	349.000 कि.मी. से 358.750 कि.मी.
17	सूरतकल से नानतूर	358.000 कि.मी. से 375.300 कि.मी.
48	बी.सी. रोड से पाडिल जंक्शन	328.000 कि.मी. से 345.000 कि.मी.
13	मारोली जंक्शन से नानतूर जंक्शन	743.900 कि.मी. से 745.000 कि.मी.

[फा. सं. एन एच-14012/8/2003-पी एंड एम]

उमा शंकर तिवारी, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2003

S.O. 1291(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretches as specified in column (3) of the Table annexed hereto, of the corresponding Section as mentioned against them in column (2) of the said Table of the National Highways as described in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India.

TABLE

National Highway No.	Section	Stretch in Kilometer
(1)	(2)	(3)
5A	Chandikole to Paradip	Km.0.000 to Km 77.000
47	Vytila to Aroor	Km 349.000 to Km.358.750
17	Suratkal to Nontour	Km 358.000 to Km 375.300
48	B.C Road to Podil Junction	Km. 328.000 to Km 345.000
13	Maroli junction to Nantoor Junction	Km 743.900 to Km 745.000

[F. No. NH-14012/8/2003-P&M]

U. S. TIWARI, Dy. Secy.